



उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 16 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934

(दिनांक : 06 जून, 2012)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख")।
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010-11 का वार्षिक लेखा तथा केन्द्रीय अधिनियम, 2003 की धारा 105(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
10. वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
11. वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-
 - (1) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 98555 हजार (नौ करोड़ पचासी लाख पचपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (2) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 18778697 हजार (एक हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ छियासी लाख सतानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (3) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 2967817 हजार (दो सौ छियानवे करोड़ अठहत्तर लाख सत्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (4) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 296743 हजार (उन्नीस करोड़ सरसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (5) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 6363521 हजार (छः सौ छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख इक्कीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (6) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 7202267 हजार (सात सौ बीस करोड़ बाईस लाख सरसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (7) ग्राम्य विकास मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 4625265 हजार (चार सौ बासठ करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (8) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2617785 हजार (दो सौ इक्कसठ करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (9) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 696518 हजार (उन्हत्तर करोड़ पैसठ लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- (10) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 668674 हजार (छियासठ करोड़ छियासी लाख चौहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

12. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
13. जनपद देहरादून में बरसात में रिस्पना व बिन्दाल नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु दोनों नदियों के किनारों पर जाल व पुस्ते लगाने की कार्यवाही बरसात से पूर्व किये जाने के संबंध में श्री राजकुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 04 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
14. विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हशीला पुडकूनी, सिखाड़ी-वाछम, धरमपुर, चुचेर-माज खेत तथा चुडियाधार-फरशाली-गुलेर मोटर मार्गों को पक्के मोटर मार्गों में परिवर्तित न करने से हो रही कठिनाईयों के संबंध में श्री ललित फर्वाण, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 04 जून, 2012 को दी गई सूचना पर, ग्राम्य विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 06 जून, 2012

(डी0पी0गैरोला)
प्रमुख सचिव।